: महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा की
पी-एच.डी. (हिन्दी) उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबंधकी सार-संक्षेपिका
(Summary)

: विषय :

" दलित, ईसाई और मुस्लिम सन्दर्भों के परिपेक्ष्य में शैलेश मटीयानी की कहानियों का अध्ययन "

: अनुसंधित्सु :
परमार हसमुखभाई मोहनभाई
व्याख्याता, स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग,
सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर,
आणंद ।

- निर्देशक -
डॉ. पारुकांत देसाई
प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग,
महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा ।

Professor & Head,
Deptt of Hindi
Faculty of Arts
M. S. U., Baroda.
6-12-06

Head
Department of Hindi
Faculty of Arts,
M S University of Baroda,
BARODA

हिन्दी विभाग, कला संकाय
महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा, गुजरात
सन् 2006 ई.

: महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा की पी-एच.डी.
(हिन्दी) उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबंध
की सार-संक्षेपिका (Summary)

: विषय :

: दलित, ईसाई और मुस्लिम सन्दर्भों के परिप्रेक्ष्य में शैलेश मटियानी
की कहानियों का अध्ययन :

: अनुसंधित्सु :

परमार हसमुखभाई गोकलभाई,
व्याख्याता, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग,
सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर,
आणंद

: निर्देशक :

डा. पारूकान्त देसाई
प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा.

: हिन्दी विभाग, कला संकाय :
महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा (गुजरात)
सन् 2006 ई.

: महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा की पी-एच.डी.
§ हिन्दी § उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबंध
की सार-संक्षेपिका § §:

जन-साधारण में एक मुहावरा-सा हो गया है। बात-बात में लोग कलियुग को कोसते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। जिन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास की ए.बी.सी.डी. भी मालूम नहीं है, ऐसे लोग कई बार हमारे वर्तमान युग को, आधुनिक युग को गरियाने लगते हैं। कुछ भी बुरा होता है, अवांछित होता है, नैतिकता के मानदण्डों के विपरीत होता है, तो हम लोग अपने युग को कोसने लगते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि पहले "कोम्युनिकेशन" के इतने संसाधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे, अब तो दुनिया के किसी कोने में कुछ घटित होता है और पलक झपकते ही वह बात सबके सामने आ जाती है। पत्र-पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, मीडिया है। अब सृष्टि को हम "ग्लोबल-विलेज" कहते हैं। अन्यथा कोई काल अच्छा या बुरा

नहीं होता , कोई धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता , कोई देश , कोई संस्कृति , कोई समाज शत-प्रतिशत अच्छा या बुरा नहीं होता । हर युग , हर धर्म , हर संस्कृति , हर समाज , हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां होती हैं , तो कुछ बुराइयां होती है , कुछ श्रेष्ठताएं होती हैं , तो कुछ क्षतियां होती हैं । कुछ शिखर होते हैं , तो कुछ खाइयां होती हैं । यह संसार , यह सृष्टि अपूर्ण है , कोई भी सम्पूर्ण नहीं है और यह अपूर्णता ही उसका सौन्दर्य है , यह अपूर्णता ही उसकी कर्म-प्रेरणा है , यहां उसके पुरुषार्थ , क्षमा कीजिए "मनुष्यार्थ " को एक निकष मिलता है ।

तो हमारा यह वर्तमान युग , कलियुग भी , कलयुग है , कला और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है । हमने अनेक शिखर सर किए हैं । ज्ञान-विज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ है । हमारे आलोच्य लेखक शैलेश मटियानी से यदि पूछा जाए § खैर , अब तो उनका निधन हो गया है , पर इस बाबत उन्होंने अपनी कैफियत दर्ज करवायी है । § तो कहेंगे कि यह कलियुग का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें श्रेष्ठ कर्मों का प्रतिपादन उच्चवर्ग-वर्ण लोगों की बपौती नहीं रह जाती , बल्कि यदि साधना हो , संकल्प हो और प्रतिभा हो तो जुआरी का बेटा और कसाई का भतीजा भी साहित्यकार बन सकता है । दया पवार , शरणकुमार लिंबाले § अक्करमाशी § के लेखक § , ओमप्रकाश वाल्मीकि , मोहनदास नैमिशराय , जोसेफ मेक्वान § आंगळियात के लेखक § जैसे हाशिये में पड़े लोग अब लेखक और कवि हो सकते हैं । हम यह इसलिए कह रहे हैं कि हमारे आलोच्य लेखक शैलेश मटियानी इसी पृष्ठभूमि से आये हैं । हमारे संविधान के रचयिता डा. बाबासाहब आंबेडकर इसी कलियुग की देन हैं , हां यह बात और है कि कुछ लोगों को यह बात आंख की किरकिरी की तरह खटक रही है और वे जब-तब उसे बदलने की बातें भी कर रहे हैं । "मनु-संहिता" वाले "भीम-संहिता" को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ।

24 अप्रैल 2001 में मटियानीजी का निधन हुआ और इधर हिन्दी के कई कथा-साहित्य के आलोचक मटियानीजी को एक महान कथाकार मानने लगे हैं । उनके निधन पर "पहाड़" पत्रिका का एक विशेषांक "शैलेश मटियानी के मायने " शीर्षक से प्रकाशित हुआ है । मटियानी-साहित्य के अध्येताओं के लिए यह अंक विशेष रूप से संग्रहनीय कहा जा सकता है । [illegible] गुजराती की एक पंक्ति है — " काप्युं तोये वधी रह्युं छे व्याप एनो तो वधतो जाय । " अर्थात् काटने पर भी वह निरंतर बढ़ रहा है । मटियानीजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है । मृत्यु ने उनकी जीवन-रेखा को मानो काट डाला , पर उसके बाद भी उनका व्याप तो बढ़ता ही जा रहा है । राजेन्द्र यादव ने "हंस" में लिखा था कि मटियानीजी की कुछ कहानियों के एवज में वह अपना समग्र साहित्य न्योछावर करने को तैयार है । मटियानीजी की गणना और तुलना अब विश्व-स्तर के साहित्यकारों के साथ हो रही है । पहले प्रेमचन्द की तुलना गोर्की के साथ होती रही है । "प्रेमचन्द और गोर्की " नाम से डा. शचिरानी गुर्टू के संपादन में विविध लेखों की एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है । इधर मटियानीजी की तुलना भी गोर्की , [illegible] चेखोव , ज्यांजेने आदि के साथ होने लगी है । इस प्रकार प्रेमचन्द के बाद यह दूसरे लेखक हैं जो विश्व-साहित्य के [illegible] ज्योतिर्धरों में देदीप्यमान हो रहे हैं । आधुनिक [illegible] कथा-साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर तथा आधुनिक कथा-साहित्य के एक मर्मज्ञ सुधी आलोचक डा . पंकज बिष्ट उनको प्रेमचंद से ऊपर नहीं तो प्रेमचन्द के बराबर के लेखक मानते हैं । शैलेश के लेखन का महत्व उस मूल यथार्थ में है जिसकी परंपरा डिकन्स , जोला , कुप्रिन और गोर्की से होती हुई प्रेमचंद , मण्टो और मटियानी तक जाती है ।

बीट कवि एलन गिंस्बर्ग की लम्बी कविता " हाउल" की प्रथम पंक्ति है -- " I have seen the best minds of my generation destroyed by madness" महाप्राण निराला की भांति इस महान यथार्थवादी लेखक का जीवनांत भी विक्षिप्तावस्था की यंत्रणापूर्ण स्थितियों से गुजरा ।

इसे जीवन की एक विडम्बना ही समझना चाहिए कि जीवन के आखिरी पड़ाव पर किसी व्यक्ति को ऐसे लोगों से जुड़ना पड़े जो उसके समूचे लेखन के विपरीत पड़ता है । मटियानी में , उनके चिंतन-परक लेखन में अनेक स्थानों पर अन्तर्विरोध मिलेंगे और यह दिक्कत ही बड़ी प्रतिभा के साथ है । वस्तुतः जिस यथार्थ की हम बात करते हैं , वह स्वयं भी अनेक प्रकार के अन्तर्विरोधों से भरा है । वस्तुतः एक बहुत बड़ी प्रतिभा को हमने बलि पर चढ़ा दिया । प्रेमचन्द के निधन पर टैगोर ने कहा था कि एक ही तो हीरा था हिन्दीवालों के पास , जो भी उन्होंने गंवा दिया । शैलेश के समय में टैगोर होते तो शायद शैलेश के लिए भी वह यही बात कह सकते थे ।

मटियानीजी के साहित्य के अनेक आयाम हैं । विपुल साहित्य की उन्होंने रचना की है । विभिन्न शैलियों को आत्मसात् किया है । भाषा पर जबरदस्त प्रभुत्व है है इनका । पर उतनी ही ज्यादा उपेक्षा उनकी हुई है । वे किसी प्रकार की खेमाबन्दी में नहीं मानते , फलतः शिविरधर्मी लोग हमेशा उन्हें नुकसान पहुंचाते रहे , उनकी उपेक्षा करते रहे । उनके प्रारंभिक दो-एक उपन्यासों के आधार पर उनको आंचलिकता के खाते में खतिया दिया गया । इधर दो-एक थीसिस देखने में आयी हैं जिनमें उनके तमाम-तमाम उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास करार दिया गया । हिन्दी कहानी के क्षेत्र में तो अनेक आंदोलन ये शिविरधर्मा लोग चलाते रहे , और उन-उन की शिविरों में फिट न बैठने के कारण , उनके कहानी साहित्य की निरंतर उपेक्षा होती रही । इधर के आधुनिक कहानी-संग्रहों को उठा लीजिए , उनमें आपको प्रेमचंद मिलेंगे , जैनेन्द्र मिलेंगे , अज्ञेय मिलेंगे , यशपाल मिलेंगे , और भी कई लेखक मिलेंगे पर मटियानीजी एक सिरे से गायब मिलेंगे । राजेन्द्र यादव द्वारा संपादित " एक दुनिया समानान्तर " में कदाचित् सर्वप्रथम उनकी "प्रेतमुक्ति" कहानी उपलब्ध होती है । राजेन्द्र यादव की भांति मेरा अपना व्यक्तिगत अभिमत भी यही है कि मटियानी की कथात्मक कला बनिस्बत उपन्यास , कहानी में

अधिक निखर कर आयी है ।

शैलेश मटियानीजी का साहित्य गुणवत्ता और प्रमाण उभय दृष्टि से विपुल और संपन्न है । उनके लगभग 28 कहानी संग्रह , 30 उपन्यास , 3 संस्मरणात्मक पुस्तक , 13 विविध प्रकार की पुस्तकें , 2 गाथाएं , 16 बाल-साहित्य की किताबें , 7 लोककथा-संग्रह प्रकाशित हुए हैं । इसके अतिरिक्त "विकल्प" और "जनपक्ष" नामक दो पत्रिकाओं को भी वे चलाते रहे हैं । इनके संपादकीय भी चिंतनपरक एवं विचारोत्तेजक हैं । केवल लेखन पर ही उनकी आजीविका निर्भर थी , अतः उनकी कई-कई कहानियों को हम पुनः पुनः विविध संकलनों में देख सकते हैं । किन्तु उनकी अधिकांश कहानियां , लगभग 70 ¤ कहानियां , बर्फ की चट्टानें " ¤ बड़ा संकलन ¤ और " मेरी तैंतीस कहानियां " में उपलब्ध हो जाती हैं ।

हिन्दी क्षेत्र में मटियानीजी की उपेक्षा भले ही हुई हो , परंतु महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पारूकान्त देसाई ने मटियानी की प्रतिभा को भलीभांति पहचाना था । इसे एक सुखद आश्चर्य ही समझना चाहिए कि मटियानी पर डोक्टरल रीसर्च वर्क गुजरात में सर्वप्रथम करने वाले डा. सलीम वोरा एक प्रज्ञाचक्षु शोध-छात्र थे और उन्होंने यह शोधकार्य देसाई साहब के मार्गदर्शन में संपन्न किया था । हिन्दी में शोध-कार्य द्वारा पी-एच.डी. प्राप्त करने वाले यह प्रथम प्रज्ञाचक्षु थे , जिसके कारण तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति वेंकटरमण द्वारा उभय का सन्मान भी हुआ था । डा. देसाई साहब ने मटियानी के विविध पक्षों को लेकर और भी दो-एक शोधकार्य करवाए हैं । मेरा यह शोध-कार्य शैलेश मटियानी जी की कहानियों पर है , किन्तु मैंने मटियानीजी की कहानियों का अध्ययन दलित , ईसाई और मुस्लिम सन्दर्भ के परिप्रेक्ष्य में किया है । इस दृष्टि से मटियानीजी की कहानियों का अध्ययन अद्यावधि हुआ नहीं है । मैंने अध्ययन की सुविधा हेतु अपने शोध-प्रबंध को आठ अध्यायों में विभक्त किया है ।

प्रथम अध्याय " विषय-प्रवेश " का है । उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध भारतीय इतिहास में कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । यहीं से हमारे यहां नवजागरण की प्रक्रिया शुरू हुई जिसने अमम× अनेक सामाजिक -राजनीतिक समीकरण बदल डाले । मध्यवर्ग का उदय , अरबो औद्योगीकरण , नगरीकरण , अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार-प्रसार , मुद्रण-कला का विकास , गद्य-विधा का प्रचार-प्रसार , पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन , ब्रह्मोसमाज-प्रार्थनासमाज-आर्यसमाज -थियोसाफिकल सोसायटी आदि सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं के प्रादुर्भाव से भारत के सामाजिक-राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में एक नयी चेतना का संचार हुआ । आधुनिकता के अग्रदूत राजा राममोहनराय , केशवचन्द्र सेन , ईश्वरचन्द्र विद्यासागर , देवेन्द्रनाथ ठाकुर , स्वामी दयानंद सरस्वती , महादेव गोविन्द रानडे , पंडिता रमाबाई , ज्योतिबा फुले , सावित्रीबाई फुले , श्रीमती एनी बेसण्ट , रामकृष्ण परमहंस , स्वामी विवेकानंद , गोपालकृष्ण गोखले , लोकमान्य तिलक , महात्मा गांधी , डा. बाबासाहब आंबेडकर जैसे महानुभावों का आविर्भाव तथा फ्रान्स की क्रान्ति , रूस की क्रान्ति , मार्क्स की विचारधारा , नारी-विमर्श तथा दलित-विमर्श जैसे वैचारिक प्रवाहों ने भारतीय चेतना को विकसित किया । शिक्षा के xxxx द्वार सबके लिए खुल गए । स्वाधीनता-संग्राम के कारण भारतीय राजनीतिक जीवन में नयी लहरें पैदा हुईं । गद्य के विकास के कारण साहित्य का अवरुद्ध मार्ग अनेक नयी विधाओं के खुल गया । उपन्यास , कहानी , निबंध , लेख , आत्मकथा , जीवनकथा , संस्मरण , नाटक , एकांकी , रिपोर्ताज जैसी विधाएं सामने आयीं । ये सब इस तथाकथित कलियुग में हुआ जिसका हम तहेदिल से स्वागत करते हैं ।

इस अध्याय में हमने मम× गद्य का विकास और कहानी-विधा , कहानी: स्वरूप-विवेचन , कहानी का अन्य साहित्य-स्वरूपों से संबंध , कहानी की विकास-यात्रा , मटियानीजी के कृतित्व-काल का युगबोध , मटियानीजी का जीवन-संघर्ष , जैसे मुद्दों की पड़ताल की है । इस अध्याय के विहंगावलोकन से हम कह सकते हैं कि गद्य के विकास के साथ हिन्दी में

कहानी-विधा का भी विकास हुआ जिसका संबंध हमारे शोध-प्रबंध से है । जो कार्य गुजराती में नर्मद ने किया लगभग उसी प्रकार का कार्य हिन्दी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किया । कहानी का प्रारंभ भी भारतेन्दु युग से हुआ है । यद्यपि इसके पूर्व हमारे यहां कथा-साहित्य उपलब्ध होता था परन्तु उस कथा-साहित्य में और इस आधुनिक कथा-साहित्य में वस्तु , शिल्प , चरित्र आदि अनेक दृष्टियों से गुणात्मक अंतर पाया जाता है । हिन्दी की प्रारंभिक कहानियों में "इन्दुमती" (पं. किशोरीलाल गोस्वामी) , " दुलाईवाली" (बंगमहिला) , " ग्यारह-वर्ष का समय " (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल) , " ग्राम " (जयशंकर प्रसाद) , "प्लेग की चुडैल (लाला भगवानदीन) , " राखीबन्द भाई " (वृन्दावनलाल वर्मा) , " कानों में कंगना " (राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह) ,आदि की गणना कर सकते हैं , जो सन् 1900 से 1913 तक में लिखी गई हैं । कहानी के विकास में "सरस्वती" तथा " इन्दु" जैसी पत्रिकाओं ने उस समय अपना विशेष योगदान दिया था । सन् 1915 में प्रणीत कहानी " उसने कहा था " (पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरीजी) एक शकवर्ती प्रेम-कहानी है जो प्रथम विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है ।

कहानी के इस प्रथम विकास के तबक्के के पश्चात् सन् 1915 के दौर में सुदर्शन , कौशिकजी तथा प्रेमचन्दजी की बृहदत्रयी यथार्थधर्मी समस्या-प्रयोजन-मूलक कहानी के नये आयामों को सर करती हैं । प्रेमचन्दजी की चर्चित कहानियों में बलिदान , आत्माराम , बूढ़ी काकी , सवा सेर गेहूं , शतरंज के खिलाड़ी , सुजान भगत , पूस की रात , सद्गति , नमक का दारोगा , ठाकुर का कुआं , बड़े भाई साहब , नशा , बेटोंवाली विधवा , कफ़न आदि की परिगणना कर सकते हैं ।

प्रेमचन्द के उपरान्त हृदयेश , जयशंकर प्रसाद , जैनेन्द्र , अज्ञेय , इलाचन्द्र जोशी , चन्द्रगुप्त विद्यालंकार , भगवतीचरण वर्मा , वृन्दावन लाल वर्मा , चतुरसेन शास्त्री , पांडेय बेचेन शर्मा " उग्र " , सियारामशरण गुप्त , भगवतीप्रसाद वाजपेयी , उपेन्द्रनाथ अश्क , यशपाल आदि लेखक कहानी के विकास को आगे बढ़ाते हैं । जैनेन्द्र , अज्ञेय और इलाचन्द्र

जोशी की त्रिपुटी मनोवैज्ञानिक कहानियों का सूत्रपात करते हैं , तो यशपाल कहानी में मार्क्सवादी जीवन-मूल्यों को उकेरते हैं । इस दौर में कुछ महिला लेखिकाएं भी कहानी के क्षेत्र में पदार्पण करती हैं , जिनमें शिवरानी देवी , सुभद्राकुमारी चौहान , कमलादेवी चौधरानी , उषादेवी मित्रा , चन्द्र-किरण सोनरिक्शा , चन्द्रवती जैन और होमवती आदि के नाम उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं ।

कहानी को लेकर एक बात और हमारे सामने आती है और वह यह कि हिन्दी की किसी भी साहित्य-विधा की तुलना में कहानी को लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन चले # हैं और कहानी के कई-कई प्रकार के नाम सामने आये हैं । इन सब आंदोलनों और फतवों से अलग रहने के कारण ही हमारे आलोच्य लेखक मटियानीजी की सर्वाधिक उपेक्षा हुई है , क्योंकि वह इन सब फतवों से दूर कहानी में सिर्फ "कहानीपन" को तलाश और तराश रहे थे । स्वतंत्रता के बाद की कहानी को कहानी-विकास की दृष्टि से अधिक-से-अधिक हम दो विभागों में रख सकते हैं -- नयी कहानी और समकालीन कहानी । सन् *080xx 1950 के बाद की कहानी को नयी कहानी और पिछले पचीस-तीस साल की कहानी को समकालीन कहानी कहा जा सकता है ।

प्रमुख और चर्चित नयी कहानियों में "डिप्टी कलेक्टरी " (अमर-कान्त) , राजा निरबंसिया (कमलेश्वर) , बादलों के घेरे (कृष्णा सोबती) , गुल की बन्नो (धर्मवीर भारती) , रस-प्रिया (रेणु) , चीफ की दावत (भीष्म साहनी) , हंसा जाई अकेला (मार्कण्डेय) , "आर्द्रा " (मोहन राकेश) , वापसी (उषा प्रियंवदा) , परिन्दे (निर्मल वर्मा) , जहां लक्ष्मी कैद है (राजेन्द्र यादव) , प्रेतमुक्ति (शैलेश मटियानी) आदि की गणना कर सकते हैं ।

नयी कहानी के बाद का कहानी का पड़ाव "समकालीनकहानी" का है । समकालीन कहानीकारों में भीष्म साहनी , उषा प्रियंवदा , शैलेश मटियानी , मोहन राकेश , कमलेश्वर , रेणु , अमरकान्त , डा. शिव-प्रसाद सिंह , रमेश बक्षी , हरिशंकर परसाई , निर्मल वर्मा , चित्रा मुद्गल , जया जादवानी , संजय , उदय शर्मा , नासिरा शर्मा आदि की

गणना कर सकते हैं ।

मटियानीजी का कृतित्व सन् 1950 से प्रारंभ होकर सन् 2001 तक चला । 24 अप्रैल 2001 में उनका निधन हुआ । अतः उनके कृतित्व का युगबोध लगभग एक अर्द्धशती की सामाजिक , राजनीतिक , सांस्कृतिक , साहित्यिक , नैतिक गतिविधियों को समेटता है । इस युगबोध के कच्चे माल को उन्होंने अपने संघर्षरत जीवन की तपिश में पकाया है और उसका परिपाक है उनका साहित्य ।

चूंकि हमारा अध्ययन दलित , मुस्लिम और ईसाई संदर्भ में मटियानीजी की कहानियों ~~xx×अध्ययन×xxx×है×~~ के संदर्भ में है , फलतः इस दूसरे अध्याय में हमने "दलित-विमर्श विषयक कतिपय अवधारणाओं " को लिया है । इसमें वर्णाश्रम-व्यवस्था में शूद्रों का स्थान , वर्ण-व्यवस्था के दोष , ब्राह्मणों के विशेषाधिकार , अस्पृश्यों के भीतर भी संस्तरण की शातिर योजना , अस्पृश्यता का प्रारंभ कब से ? , कोचीन की सरकारी रिपोर्ट , दलित-विमर्श-यात्रा , दलितों पर थोपी गयीं निर्योग्यताएं , दलित-विमर्श को बढाने वाले 19वीं और 20वीं शताब्दी के नेता , डा. बाबासाहब आंबेडकर , आंबेडकर और मार्क्सवाद , दलित और हरिजन , अस्पृश्यता-निवारण से संबंधित कार्य , सुधार-आंदोलन और गैर-सरकारी प्रयत्न , उसमें सवर्ण हिन्दुओं द्वारा चलाए गए आंदोलन , अस्पृश्य जातियों द्वारा चलाए गए आंदोलन , सरकारी प्रयत्न , संवैधानिक प्रयत्न , शिक्षा-संबंधी सुविधाएं , विधानमंडलों एवं पंचायतों में प्रतिनिधित्व , सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व , विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में दलित-वर्ग की उन्नति हेतु रखे गए विभिन्न प्रावधान , नागरिक अधिकार संरक्षण कानून , आदि मुद्दों की तर्क-संगत व्याख्या हमने प्रस्तुत की है ।

उपर्युक्त मुद्दों के प्रकाश में हम कह सकते हैं कि दलित वर्ग की चिन्ता करना , दलितों की स्थिति पर चिंतन , दलितों की दयनीय, शोषित , दलित-स्थितियों के कारणों की पड़ताल ; उनकी समस्याओं का विश्लेषण , उन पर थोपी गयी निर्योग्यताओं के खिलाफ चेतना जागृत

करना , दलितों को अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट करना , उन्हें संगठित कर आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष के लिए प्रेरित करना आदि मुद्दे दलित-विमर्श के अन्तर्गत आते हैं । दलित-विमर्श को जानने-समझने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वर्णाश्रम-व्यवस्था अन्यायमूलक , शोषणमूलक , भारत को खंडित करने वाली तथा जातिवाद को बढ़ावा देनेवाली अतार्किक तथा अवैज्ञानिक व्यवस्था है । और इसी वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण ही शूद्रों पर सामाजिक, राजनीतिक , धार्मिक , आर्थिक नियोग्यताएं (disabilities) थोपी गयीं बाद में जिनके बड़े ही अमानवीय दुष्परिणाम सामने आये । प्रारंभ में अस्पृश्यता नहीं थी । डा. बाबासाहब ने गहन अध्ययन के उपरान्त यह प्रस्थापित किया है कि भारत में लगभग 400 ई. में गुप्त-राज्य के समय में अस्पृश्यता का समावेश हुआ है । इसे एक विडम्बना ही समझना चाहिए कि हमारे इतिहासकार इसी गुप्त-समय की गणना स्वर्ण-युग के रूप में करते हैं । बहुत से दलित इस "स्वर्णयुग" को यदि "सवर्णयुग" कहते हैं तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । यह अस्पृश्यता बाद में दक्षिण के राज्यों में तो चरम-सीमा को पहुंच गयी और उच्च-वर्ण के लोग शूद्रों की परछाइयों से भी कतराते थे , क्योंकि उनकी परछाई पड़ जाने मात्र से वे भ्रष्ट हो जाते थे । कोचीन की सरकारी रिपोर्ट में इसे देखा जा सकता है ।

दलित-विमर्श-यात्रा का प्रारंभ बौद्ध-धर्म के उदय के साथ होता है । उसके बाद सिद्धों , नाथों और निर्गुणिया संतों के काव्य में उसे लक्षित किया जा सकता है । यह अकारण नहीं है कि लगभग तमाम-तमाम सन्त निम्नजातियों से आये थे । बुद्ध के बाद दलित-विमर्श के महान उन्नायकों में कबीर आते हैं । आधुनिक काल में नवजागरण के सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों के पश्चात् दलित-विमर्श एक नये ढंग से उभरता है । बीसवीं शताब्दी के दलितों के मसीहा डा. बाबासाहब आंबेडकर इस विमर्श को एक नयी दिशा प्रदान करते हैं । इस समूची सामाजिक-राजनीतिक जागृति की प्रक्रिया में गैर-दलित वर्ग के समझदार व प्रबुद्ध लेखकों , कवियों और नेताओं की सकारात्मक भूमिका को नकारना समुचित न होगा । हमें योग करना है ,

HANSA MEHTA

गुणा करना है , भागा नहीं करना , घटाना नहीं है ।

दलित-विमर्श के प्रमुख नेताओं में गोपालराव हरिदेशमुख , महात्मा ज्योतिबा फुले , गोपालगणेश आगरकर , महर्षि प्रो. अण्णासाहब कर्वे , श्री संत महाराजा सयाजीराव गायकवाड , गोपालकृष्ण गोखले , महात्मा गांधी , महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे , वीर सावरकर , राजर्षि श्री साहूजी महाराज, कर्मवीर भाउराव पाटिल , डा. बाबासाहब आंबेडकर , कांशीरामजी आदि मुख्य हैं । इनमें डा. बाबासाहब आंबेडकर की भूमिका को युगान्तकारी और चक्रवर्ती है । आजीवन वह दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे , इतना ही नहीं उन्होंने एक समृद्ध और संपन्न साहित्य भी दिया, जिसे हम आंबेडकरवादी साहित्य कह सकते हैं । उन्होंने अपने दलित भाइयों को संदेश दिया -- " शिक्षित बनो , संगठित बनो , संघर्षी बनो । "

महात्मा गांधी और आंबेडकर में अनेक मुद्दों में विरोध होते हुए भी , महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता-निवारण के लिए जो किया है , उसे नकारा नहीं जा सकता है । आंबेडकर की विचारधारा और मार्क्सवाद में भी कुछ मुद्दों का अंतर है , पर समानताएं अधिक हैं । महात्माजी ने स्वाधीनता-संग्राम के दौरान दलितों के लिए "हरिजन" शब्द का प्रयोग किया था , लेकिन आजादी के उपरांत संसद में हुई बहसों के फलस्वरूप अब "हरिजन" शब्द को असंसदीय माना जाता है ।

अस्पृश्यता-निवारण के संदर्भ में जो सुधार-आंदोलन हुए उनमें गैर-दलित जातियों के लोगों तथा संस्थाओं की भी बड़ी महती भूमिका रही है । स्वयं दलित नेताओं तथा उनके द्वारा प्रस्थापित संस्थाओं की बड़ी महती भूमिका रही है । स्वतंत्रता-पूर्व ब्रिटिश राज्य में तथा स्वतंत्रता के पश्चात् सरकारी प्रयत्नों से भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है , तथापि इस संदर्भ में अभी तक 10 प्रतिशत काम हुआ हो , ऐसा प्रतीत होता है , क्योंकि दूर-दराज के गांवों में दलितों का जीवन आज भी तिमिराच्छन्न दृष्टिगोचर होता है । कायदे-कानून हैं , पर वे कानून की पोथियों में ही सिमटकर रह गए हैं ।

तृतीय अध्याय में ईसाई संदर्भ तथा मुस्लिम-संदर्भ विषयक कुछ अवधारणाओं को स्पष्ट किया गया है । मुसलमानों का आगमन ईसाइयों से पहले हुआ है , लेकिन प्रस्तुत प्रबंध में हमने ईसाई संदर्भ को पहले लिया है । ईसाई संदर्भ के अन्तर्गत भारत में यूरोप का आगमन , अंग्रेजों का आगमन , ईसाइयत का प्रचार-प्रसार , ईसाई धर्म का उद्‌भव , ईसाई धर्म और बौद्ध-धर्म की तुलना , ईसाई धर्म के कुछ बुनियादी सिद्धान्त , ईसाई धर्म की कुछ विशेषताएं , ईसाई परिवार की संकल्पना , ईसाई परिवार की कुछेक विशेषताएं , ईसाई समाज में विवाह-पद्धति , ईसाइयों में विवाह-विच्छेद (Divorce) की परंपरा , ईसाई विवाह में कुछ नये परिवर्तन , जैसे मुद्दों की विस्तृत चर्चा की गई है ।

मुस्लिम-संदर्भ के अन्तर्गत मुस्लिमों की भारत तथा विश्व में जन-संख्या , हिन्दुओं की जन-संख्या , विश्वमें इस्लाम का उदय , इस्लाम का क्षिप्र प्रसार , अरब और इस्लाम का भारत से संपर्क , भारत पर मुस्लिम आक्रमण , सल्तनत का समय , गुलामवंश , खिलजी वंश , तुगलक-वंश , सैयद वंश और लोदी वंश , मुगल-समय (सन् 1526-1857 ई.) , बाबर , हुमायूं , अकबर , जहांगिर , शाहजहां , औरंगजेब तथा अन्य मुगल बादशाह ; मुस्लिम शासन के दौरान के प्रभावशाली व्यक्तित्वों में अमीर खुसरो , निजामुद्दीन चिश्ती , कबीर , नानक , दादू , गुरु तेग बहादुर , गुरु गोविन्दसिंह , छत्रपति शिवाजी , राणा प्रताप आदि की चर्चा ; हिन्दू-मुस्लिम समरसता और गंगा-जमुनी संस्कृति , इस्लाम धर्म , इस्लाम की कतिपय विशेषताएं , मुस्लिम-विवाह , मुस्लिम-विवाह की कतिपय शर्तें , मुस्लिम-विवाह में मेहर या स्त्री-धन (Dower in muslim Marriage) , मुस्लिम-विवाह के भेद , मुसलमानों में विवाह-विच्छेद अर्थात् तलाक , तलाक के प्रकार , तलाक-विषयक कुछ अधिनियम , मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम 1939 , मुस्लिम-परिवार की विशेषताएं (Characteristics of muslim Family) , संस्कारों की प्रधानता (Prominense of Rites) ; सतवां , अकीका , चिल्ला , बिस्मिल्ला , खतना , निकाह , मैयत आदि संस्कार

जैसे मुस्लिम सभ्यता , संस्कृति और समाज से सम्बद्ध मुद्दों की विस्तृत व विश्लेषणात्मक पड़ताल की है ।

अध्याय के समग्रावलोकन से यह कहा जा सकता है कि यूरोपीय प्रजा व्यापार तथा ईसाइयत के प्रचार हेतु भारत की ओर प्रवृत्त हुए । सन् 1498 में वास्को डी गामा ने भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज की । प्रारंभ में फिरंगी , फ्रेन्च और अंग्रेजों के बीच भारत पर अपने अधिकार को लेकर संघर्ष होते रहे , लेकिन अन्ततः अंग्रेज उसमें सफल रहे । अंग्रेज व्यापारियों के साथ-साथ मिशनरी धर्म-प्रचारक भी आये थे और वे लगातार ईसाइयत का प्रचार-प्रसार भारत के उपेक्षित लोगों में कर रहे थे । यदि हम ईसाई धर्म के उद्भव की बात करें तो संसार में तीन धर्म सबसे ज्यादा प्राचीन हैं — हिन्दू धर्म , जरथ्रुस्त धर्म और यहूदी धर्म । इनमें से प्रथम दो धर्म आर्यों के बीच उत्पन्न हुए और तीसरा यहूदी धर्म सामी जातियों के बीच उद्भवित हुआ । सामी जाति घनघोर मूर्तिपूजक थी । इस मूर्तिपूजा को त्यागने का प्रथम उपदेश हजरत इब्राहीम ने दिया जिनको यहूदी परंपरा में आदि पयगम्बर माना जाता है । ईसाई धर्म के प्रवर्तक हजरत ईसा हैं और उसका धर्मग्रन्थ बाइबिल है । बाइबिल के दो भाग हैं — पुरानी बाइबिल (Old Testament) और नयी बाइबिल (New Testament) । पुरानी बाइबिल हजरत दाउद और मूसा द्वारा कही गयी है , जब कि नयी बाइबिल हजरत ईसा द्वारा । इन दोनों के बीच जो संबंध है , वह बहुत-कुछ वेद और उपनिषदों जैसा है । यहूदी लोग नयी बाइबिल को नहीं मानते । ठीक उसी तरह ईसाइयों का विश्वास पुरानी बाइबिल में नहीं है । यहां एक तथ्य की ओर हमारा ध्यान जाता है कि बौद्ध-धर्म और ईसाई धर्म में भी बहुत कुछ साम्य है । जिस प्रकार बौद्ध-धर्म वैदिक धर्म की कर्मकाण्डीय जटिलता के विरोध में आया , ठीक उसी तरह ईसाई धर्म यहूदी धर्म के विरोध में आया है । ईसाई धर्म आगे चलकर दो भागों में विभक्त हुआ — कैथोलिक एवं प्रोटेस्टण्ट , किन्तु दोनों की आत्मा अविभक्त है । ईसाई धर्म अपने अनुयायियों को दश आदेशों (Ten commandments) का पालन करने के लिए कहता है । ये आदेश दया , प्रेम , करुणा , क्षमा ,

समानता तथा भाईचारे के सिद्धान्तों पर आधारित है । ईसाई धर्म कि कतिपय विशेषताओं में एकेश्वरवाद , ईसामसीह में विश्वास , आत्मा की पवित्रता , त्रिर्यक्वाद , चर्च की सत्ता , पांच धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास , मूर्ति-पूजा का विरोध , समानता तथा भ्रातृत्व आदि को परिगणित किया जा सकता है ।

अब यदि ईसाई परिवार की बात करें तो भारत में चार प्रकार के ईसाई-परिवार पाए जाते हैं — /1/ वे जो यूरोप-निवासियों की भारत में बसी हुई संतानों से आते हैं , /2/ वे जो हिन्दुओं तथा मुसलमानों से धर्म-परिवर्तन द्वारा बने ईसाइयों तथा उनकी संतानों से आते हैं , /3/ वे जो प्रथम तथा द्वितीय प्रकार के ईसाइयों की मिश्रित संतानों से आते हैं और /4/ वे जो ऐसे आदिवासियों से बने हैं जो धर्म-परिवर्तन द्वारा ईसाई बन गए हैं । अब ईसाई परिवार की विशेषताओं पर दृष्टिपात करें तो उनमें निम्नलिखित विशेषताएं नजर आयेंगी — /1/ पितृसत्तात्मक व्यवस्था , /2/ सम्मिलित आय का अभाव , /3/ सम्मिलित ~~संप~~x संपत्ति का अभाव , /4/ परिवार का लघु आकार , /5/ वैयक्तिक आधार , /6/ समानता के सिद्धान्त पर बल , /7/x~~अपू~~ अपेक्षाकृत स्त्रियों की बेहतर स्थिति आदि-आदि ।

ईसाइयों की विवाह-प्रथा अधिक जटिल नहीं है । वर-वधू का विवाह चर्च में फादर करवाते हैं । यद्यपि ईसाई धर्म विवाह-विच्छेद की अनुमति नहीं देता , तथापि परिवार के वैयक्तिक आधार के कारण , अन्य धर्मों की तुलना में उसमें विवाह-विच्छेद सर्वाधिक रूप से पाया जाता है । ईसाई विवाह-पद्धति में अनेक नये परिवर्तन आ रहे हैं और उसका लचीलापन ﴾ Flexibility ﴿ और भी बढ़ रहा है । ईसाई समाज की एक अच्छी बात यह है कि उसमें बाल-विवाह नहीं होते और लड़का जब तक आर्थिक दृष्टया आत्म-निर्भर नहीं हो जाता उसका विवाह भी नहीं होता है । हिन्दुओं के सवर्ण तबके ने इस बात को ईसाइयों से ग्रहण किया है । इसे ईसाई-प्रभाव कहा जा सकता है ।

अब मुस्लिम-संदर्भ पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि भारत में उनकी कुल जनसंख्या ।। ४ है । मुस्लिम-धर्म के स्थापक हजरत मुहम्मद पैगम्बर हैं । पूर्व-चर्चित ईसाई धर्म की भांति इस्लाम भी यहूदी धर्म से भि× निःसृत हुआ है । हजरत मुहम्मद पैगम्बर साहब हजरत मुहम्मद इब्राहीम के छोटे बेटे ~~हजरत×इसहाक×के×खानदान×में×हुए×थे×यहूदी×धर्म×के×पैगम्बर×मानते×हैं×××~~ इस्माइल के वंश में हुए हैं ; और हजरत दाऊद , मूसा और ईसा ये तीनों पैगम्बर हजरत इब्राहीम के बड़े बेटे हजरत इसहाक के खानदान में हुए हैं । अभिप्राय यह कि दोनों धर्म के पैगम्बर मूलतः हजरत इब्राहीम की वंश-परंपरा में ही आते हैं , जिनको यहूदी परंपरा में प्रथम पैगम्बर माना गया है ।

इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है "शान्ति में प्रवेश करना " , अतएव उसका लाक्षणिक अर्थ होगा वह धर्म जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की शरण लेता है तथा मनुष्यों के प्रति अहिंसा एवं प्रेम का बर्ताव करता है । इस्लाम धर्म का मूल-मंत्र है — " ला इलाह इल्ललल्लाह मुहम्मदुर्र रसूल्लाह " , अर्थात् अल्लाह के सिवा और कोई पूजनीय नहीं है तथा मुहम्मद उनके रसूल हैं । मुसलमानों का धार्मिक ग्रन्थ कुरान है , जिसमें प्रत्येक मुसलमान के लिए निम्नलिखित पांच धार्मिक कृत्य निर्धारित किए गए हैं — /1/ कलमा पढ़ना , /2/ नमाज़ पढ़ना , /3/ रोज़ा रखना , /4/ जकात [दान] देना , /5/ हज़ करना ।

इस्लाम के आरंभिक खलीफा वीर , उदार , न्यायी और विवेक-संपन्न थे ; परन्तु भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमान दूसरे प्रकार के थे । वे अधिक कट्टर और ~~धर्मान्ध~~× धर्मान्ध थे । मुहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और यहीं से भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रारंभ होता है । सन् 1206 से सन् 1526 ई. तक का मुस्लिम-शासन सल्तनत युग कहलाता है , और सन् 1526 से सन् 1857 ई , तक के काल-खण्ड को मुगल समय कहा जाता है । इस काल-खण्ड में जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हुए उनका उल्लेख हम कर चुके हैं ।

इस्लाम की विशेषताओं में एकेश्वरवाद , पैगम्बरीय परंपरा , समानता और बिरादरी की भावना , मूर्तिपूजा का विरोध , पूर्वजन्म की अवधारणा में अविश्वास , पांच धार्मिक कृत्यों के पालन की अनिवार्यता —— कलमा पढ़ना , रोजा रखना , नमाज पढ़ना , जकात देना और हज्ज करना ; ईश्वर की अधीनता में विश्वास प्रभृति की गणना कर सकते हैं । मुस्लिम परिवार की विशेषताओं में हम निम्नलिखित को रेखांकित कर सकते हैं — /1/ संयुक्त परिवार पद्धति , /2/ पुरुष-प्रधान परिवार ,पद्धति, पारिवारिक स्थिति में असमानता , /4/ बहुपत्नीत्व प्रथा , /5/ पर्दा-प्रथा , /6/ परिवार में धार्मिक आधार की केन्द्रीयता , /7/ स्त्रियों कीनिम्न स्थिति , /8/ परंपराओं की प्रधानता और /9/ संस्कारों की प्रधानता । मुस्लिम समाज में सतवां , अकीका , चिल्ला , बिसमिल्ला, खतना , निकाह और मैयत आदि सात संस्कारों का विशेष महत्व है । ध्यान रहे ये सात प्रकार के संस्कार सभी मुसलमानों के लिए है , क्योंकि हिन्दुओं में जो सोलह संस्कार होते हैं वे सभी के लिए नहीं हैं , उनमें से कुछ संस्कारों से दलित या शूद्र जातियों को वंचित रखा गया है ।

चतुर्थ अध्याय में शैलेश मटियानी की दलित-संदर्भ से युक्त कहानियों का समीक्षात्मक ढंग से विश्लेषण किया गया है । इन कहानियों को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने दो वर्गों में विभक्त किया है — {अ} कुमाऊं के परिवेश पर आधारित कहानियां और {ब} नगरीय परिवेश पर आधारित कहानियां । कुमाऊं के परिवेश पर आधारित दलित-संदर्भ की जो कहानियां हैं उनमें घुघुतिया त्यौहार , सतजुगिया आदमी , नंगा , प्रेतमुक्ति , बिxxx चिट्ठी के चार अक्षर , लाटी , लीक , नेताजी की चुटिया , भँवरे की जात , बर्फ की चट्टानें , जिबुका आदि को उल्लेखनीय कहा जा सकता है । नगरीय परिवेश पर आधारित दलित-संदर्भ की कहानियों में चील , पत्थर , प्यास , महाभोज , गोपुली गफूरन , मिट्टी , दो दुःखों का एक सुख , "एक कोप चाः दो खारी बिस्किट " , हत्यारे , अहिंसा , पिट्ठल , दैट माय फादर वेलजी , फर्क बस इतना है , जिसकी जरूरत नहीं थी आदि कहानियों को लिया गया है ।

इन कहानियों के आधार पर कहा जा सकता है कि मटियानीजी की दलित-विमर्श विषयक दृष्टि तटस्थ व पूर्वाग्रह-रहित है । इनमें एक तरफ जहाँ दलित-शोषण की बात है , वहाँ दूसरी तरफ आजादी के बाद इस वर्ग में जो नयी चेतना उभरकर आयी है उसका भी चित्रण मिलता है । कुमाऊं प्रदेश के जनजीवन के साथ यहाँ उस मिट्टी की सोंधी खुशबू भी है । इनमें कई ऐसे दलित पात्र मिलते हैं जो मानवीय मूल्यों से मालामाल है , साथ ही कहीं उनमें प्रचलित अंधविश्वासो ं का भी तटस्थ चित्रण मिलता है । नगरीय परिवेश की कहानियों में चील , महाभोज , गोपुली गफूरन , मिट्टी , दो दुःखों का एक सुख , हत्यारे आदि कहानियाँ इलाहाबाद , अलमोड़ा आदि नगरों से सम्बद्ध हैं । नगरीय परिवेश में जहाँ मुंबई का परिवेश है उन कहानियों में हमने मुंबई के उस जीवन को भी दलित-जीवन के अन्तर्गत ही रखा है जो झोंपड़पट्टियों , फुटपाथों और पाईपों में पलता है । इनमें चोर , भिखारी , पाकेटमार , दादा , मवाली , गुण्डे सरीखे लोगों में भी कहीं-कहीं मानवता के दीये झिलमिलाते नजर आते हैं । इन कहानियों में मटियानीजी ने जहाँ हमारे तथाकथित ऊँचे , संपन्न , अभिजात वर्ग के भीतर के खोखलेपन को उद्घाटित किया है ; वहाँ मुंबई के फुटपाथों और झोंपड़पट्टियों में जी रहे लोगों के ऊँचे मानवीय मूल्यों को उकेरा है । इन कहानियों में हमें मुख्यतः तीन प्रकार के पात्र मिलते हैं — ऐसे पात्र जिनमें कहीं बहुत भीतर खंगालने पर मनुष्य होने का अहसास बाकी है , ऐसे पात्र जो मनुष्य होने की चेतना खो चुके हैं और लाख गरीबी के बावजूद कुछ ऐसे नारी पात्र भी मिलते हैं जो अपने मान-सम्मान और "मरजाद " के लिए जूझ रही हैं । ऐसी जुझारू और जीवट वाली नारियों में शिवरती , गनेशी , बिन्दा और कृष्णाबाई आदि को ले सकते हैं । संक्षेप में हम यहाँ जीवन के कीचड़ में खिले हुए कमलों के दर्शन कर सकते हैं ।

पंचम अध्याय में ईसाई-संदर्भ से युक्त कहानियों को अध्ययन के निकष पर चढ़ाया गया है जिनमें मिसेज ग्रीनवुड , झुरमुट , दीक्षा , चुनाव नीलदी , छाक , कोहरा , दैट माय फादर वेलजी , बित्ताभर सुख आदि कहानियों को उल्लेखनीय कहा जा सकता है । इन ईसाई-संदर्भ की कहानियों

में प्रायः धर्म-परिवर्तन की प्रक्रिया देखने में मिलती है, क्योंकि कुमाऊं प्रदेश में भी यह प्रवृत्ति काफी जोरों पर चलती है। स्वयं मटियानीजी के पिताजी ने एक दूसरी स्त्री के प्रेम के चक्कर में ईसाई धर्म अंगीकृत किया था। कुमाऊं प्रदेश में हिन्दुओं में यह जो प्रवृत्ति मिलती है, उसके दो कारण हैं — निम्नजातियाँ उच्चवर्ण की जातिगत कट्टरता, ऊंच-नीच का संस्तरण, निम्न-जाति के लोगों पर अत्याचार, अन्याय और बात-बात में उनका होने-वाला अपमान आदि धर्मान्तरण का मुख्य मुद्दा है; तो ऊंची जाति के लोग प्रायः अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम आदि के कारण धर्म-परिवर्तन करते हैं। यदि हिन्दुओं में यह जातिगत कट्टरता और जकड़बन्दी न होती तो ऐसा नहीं होता।

८९: मटियानीजी की कहानियों में जो ईसाई चरित्र मिलते हैं उनकी प्रायः छिन्न कोटियां हैं — /1/ विशुद्ध रूप से ईसाई, जैसे मिसेज ग्रीनवुड, मि.ग्रीनवुड, मि. राबर्ट आदि ; /2/ ऊंची जाति के हिन्दू जो प्रायः प्रेम-विवाह के कारण ईसाई धर्म अंगीकार करते हैं, जैसे फादर परांजपे, मि. धरणीधर उप्रेती ﴾ झुरमुट कहानी के मि. डी.डी. ﴿, "चुनाव" कहानी का मि. क्रिस्टी आदि-आदि ; /3/ निम्न जाति के लोग जैसे मिसेज कैथरीन, मि. गुडविल आदि ; /4/ मध्यवर्गीय जातियां जैसे, सुप्रिया मसी, सुमित्रा, पादरी जानसन चौहान, उनका भतीजा विल्सन चौहाण आदि ; पुराने ईसाई जो पिछली कई पीढ़ियों से ईसाई हैं, जैसे सुप्रिया मसी, विल्सन चौहान आदि ; /6/ नये ईसाई जो अभी हाल ही में ईसाई हुए हैं, जैसे — फादर परांजपे, डी.डी., क्रिस्टी आदि।

इन कहानियों में ईसाई धर्म में रसे-बसे और पगे हुए चरित्र भी हैं, तो कुछ पाखंडी और ढोंगी किस्म के चरित्र भी मिलते हैं। रसे-बसे और पगे चरित्रों में ईसाई धर्म की उदात्तता, करुणा, दया, क्षमा आदि गुण प्राप्त होते हैं। ऐसे चरित्रों में मिसेज ग्रीनवुड, फादर परांजपे, सुप्रिया मसी आदि चरित्र मिलते हैं। पाखंडी और ढोंगी चरित्रों में सिस्टर सुशीला ज्होन ﴾ नीत्शी ﴿ पादरी जानसन ﴾ चुनाव ﴿, मिसेज गुडविल ﴾ चुनाव﴿ आदि की गणना कर सकते हैं। इन कहानियों में कुछ ऐसे पात्र भी मिलते हैं

जिनके साथ धर्म-वंचना हुई है , अर्थात् जिनको धर्म के नाम पर छला गया है । ऐसे पात्रों में "चुनाव" कहानी के कृष्णानंद (मिस क्रिस्टी) , मि. गुडविल ; "नीरुशी" कहानी की नीरुशी आदि हैं । इन कहानियों में ईसाई धर्म की सूक्तियां , रीत-रिवाज और विशिष्ट ईसाई शब्दावली का का प्रयोग मिलता है ।

शोध-प्रबंध की योजना के अनुरूप छठे अध्याय में हमने मटियानीजी की मुस्लिम-संदर्भ की कहानियों को विश्लेषित किया है । इन कहानियों में मैमूद , रहमतुल्ला , इब्बूमलंग , गरीबुल्ला , पत्थर , गोपुली गफूरन , "एक कोप चा : दो खारी बिस्किट " , दो दुःखों का एक सुख , इल्लेस्वामी , हलाल , सिने-गीतकार आदि कहानियों को अध्ययन के लिए चुना गया है । अध्याय के आधार पर हम कह सकते हैं कि मटियानीजी भी प्रेमचन्द स्कूल के लेखक हैं , अतः उनके कथा-साहित्य में हमें मुस्लिम-समाज की उपस्थिति मिलती है । "मैमूद" , " रहमतुल्ला" , " पत्थर " , " इब्बूमलंग" आदि कहानियां मुस्लिम-सभ्यता और तहजीब की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । इनमें मुस्लिम पात्रों के नाम , उनका सामाजिक परिवेश , उनके रीति-रिवाज , उनकी मान्यताएं , उनकी भाषा , मुसलमानी बोली और लहजा ; रोजा रखना , कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना , खतना कराना , हलाल गोश्त की विभावना , निकाह करना , मौसेरी-फुफेरी बहनों से शादी , एक से ज्यादा बीबियां ; मुसलमानी पहनावा, मुसलमानी खाना , कबाब, मटन-पुलाव , मटन बिरयानी , चिकन बिरयानी, गोश्त के कोफ्ते , मुसलमान स्त्री-पुरुषों की गोश्तखोरी ये तमाम बातें हमें मुस्लिम-संदर्भ से जोड़ती है और इसका यथार्थ आलेखन व आकलन वही लेखक कर सकता है जिनका इस परिवेश से गहरा नाता रहा हो । इन कहानियों में हमें कहीं-कहीं धर्मान्तरण की प्रवृत्ति मिलती है , लेकिन यह धर्मान्तरण मुस्लिम से हिन्दू का नहीं , बल्कि हिन्दू से मुस्लिम का मिलता है । इसमें कहीं भी जबरदस्ती या जोरो-जुल्म नहीं है , बल्कि किसी-न-किसी प्रकार की व्यक्ति की लाचारदर्जी रही है । यह धर्मान्तरण की प्रवृत्ति हमें निम्न जातियों में सविशेष मिलती है । एक बात और भी गौरतलब है कि मुसलमानों भी जहां संपन्नता और समृद्धि है , वहां औलाद का अभाव है , लेकिन जहां

गरीबी है , वहां बच्चों की भरमार है । इन कहानियों में कहीं-कहीं मुस्लिम वेश्याएं मिलती है , किन्तु अधिकांशतः वे मूल रूप से हिन्दू हैं । तथापि मुस्लिम परिवारों की गरीबी भी इसमें कारणभूत है । गरीबी और अशिक्षा मुस्लिम-समाज की दो महामारियां हैं । यह भी एक तथ्य है कि मुसलमान प्रायः अच्छे कारीगर और मिकेनिक होते हैं ।

सप्तम् अध्याय में हमारे शोध-प्रबंध में विश्लेषित संदर्भ-त्रयी के आधार पर उन-उन कहानियों में पायी जाने वाली समस्याओं का आकलन किया है । ये समस्याएं सामाजिक, पारिवारिक , आर्थिक , राजनीतिक , धार्मिक , नैतिक , मनोवैज्ञानिक प्रकार की हैं । ऐसी कुल कुलाकर लगभग बीस समस्याओं को आकलित व विश्लेषित किया गया है ; जिनमें निम्न लिखित हैं — /1/ दरिद्रता या गरीबी की समस्या , /2/ जातिगत नफरत की समस्या , /3/ आवास की समस्या , /4/ जातिवाद की समस्या, /5/ धर्मान्तरण की समस्या , /6/ वेश्या समस्या , /7/ बीमारियों की समस्या , /8/ ज्यादा संतानों की समस्या , /9/ निम्न जातियों के लोगों के यौन-शोषण की समस्या , /10/ हैसियत से ज्यादा खर्च करने की समस्या , /11/ निम्न जातियों के अपमान की समस्या , /12/ अंध-विश्वासों की समस्या , /13/ जाति-बिरादरी के डर की समस्या , /14/ बच्चों के यौन शोषण की समस्या , /15/ बाल-मजदूरी की समस्या , /16/ बचपन में ही अनाथ हो जाने की समस्या , /17/ बच्चों से भीख मंगवाने की समस्या , /18/ बच्चों से अवैध काम करवाने की समस्या , /19/ धर्म-वंचना की समस्या , /20/ अन्तर्जातीय विवाह की समस्या आदि-आदि । इनके अतिरिक्त अस्पृश्यता की समस्या , फिल्मी गीतों के भोंडेपन की समस्या , वर्ली-मटके और जुए की समस्या , गलत राजनीति के शिकार की समस्या जैसी समस्याओं पर भी विचार किया गया है ।

प्रत्येक अध्याय के अन्त में समग्रावलोकन की प्रक्रिया द्वारा मंथन करके निष्कर्ष दिए गए हैं । शोध-प्रबंध में संदर्भानुक्रम या संदर्भ - संकेत प्रस्तुत करने के दो मुख्य तरीके हैं — एक वह जिसमें किसी पृष्ठ-विशेष के नीचे ही एक रेखा खींचकर संदर्भ-संकेत दिया जाए , और दूसरा तरीका वह है जिसमें

समूचे अध्याय में क्रमिक नंबर देते हुए उन सभी संदर्भों को अध्याय के अंत में प्रस्तुत किया जाता है । इस प्रबंध में हमने दूसरी विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि वह टंकण इत्यादि में अधिक सुविधाजनक रहती है । शोध-प्रबंध के अन्त में "संदर्भिका" (Bibliography) को अकारादि क्रम से प्रस्तुत किया गया है । इसमें उपजीव्य या आधारभूत ग्रंथ-सूची के अतिरिक्त अन्य सहायक-ग्रंथों तथा पत्र-पत्रिकाओं की सूची विभिन्न परिशिष्टों के अंतर्गत रखने का उपक्रम रहा है ।

अन्ततः प्रबंध विद्वज्जनों के सम्मुख है । अपनी सीमाओं और मर्यादाओं का मुझे ज्ञान है, तथापि यथा शक्ति-मति यह कार्य मैंने संपन्न किया है । शुभाशंसा से किया गया कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता और उसमें कुछ भी तो सार्थक और उपादेय होता है । इस कार्य के उपरान्त मेरी शोध-दृष्टि तथा साहित्यिक-समझ (Literary-Conscience) में थोड़ा-सा ही सही लेकिन इजाफा हुआ होगा ऐसा मानना अकारण न होगा ।

कविकुलगुरु कालिदास अपने "मालविकाग्निमित्रम्" नाटक के प्रथम अंक में नाट्याचार्य गणदास द्वारा एक सूक्ति कहलवाते हैं —

"लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम् ।
यस्यागमः केवल जीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ।।"

अर्थात् जो लोग अध्यापक पद प्राप्त कर लेने के उपरान्त शास्त्रार्थ या वाद-विवाद या बहसों से कतराते हैं, तथा दूसरों द्वारा की गयी निन्दा को सहन कर लेते हैं और केवल अपना तथा परिवार का पेट पालने के लिए अध्यापन का कार्य करते हैं, ऐसे लोग विद्वान नहीं अपितु ज्ञान बेचने वाले बनिये होते हैं । मेरा यह कार्य स्वयं को विवादक्षम बनाने की दिशा में उठाया हुआ एक कदम है । सच्ची और उत्कृष्ट कला प्रश्नों को उकेरती है, और साहित्य के क्षेत्र में किया गया शोध-कार्य भी कला के क्षेत्र में ही आता है, अतः मेरा यह शोध-कार्य यदि प्रश्नों को उकेर सका, नयी बहसों को जन्म दे सका तो मैं स्वयं को कृतार्थ समझूंगा ।

प्रथमदर्शी शोधकार्य (Macro-Research) से संतुष्टि मान लेने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि किसी एक लेखक या कवि पर ज्यादा कार्य नहीं हो सकता , लेकिन यह सही नहीं है । लेखक या कवि और उसका रचना-संसार तो अनेक संभावनाओं का आगार होता है , अगरचे वह प्रेमचन्द , निराला , मुक्तिबोध , नागार्जुन , शैलेश मटियानी-सी साहित्यिक बुलंदियों को छूते हों , तो उनके विभिन्न आयामों को लेकर नये-नये कार्य हो सकते हैं । महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पारूकान्त देसाई के मार्गदर्शन में मटियानीजी पर दो-तीन शोध-कार्य हुए हैं । एक तो उनके "कथा-साहित्य " को लेकर प्रथम कार्य डा. सलीम वोरा (प्रज्ञाचक्षु शोध-छात्र) ने किया । उसके उपरान्त मटियानीजी की कहानियों में नारी के विभिन्न रूपों को लेकर डा. सुषमा शर्मा का शोध-कार्य है । अभी हाल ही में मटियानीजी के उपन्यासों की भाषा को लेकर एक शोध-कार्य श्री. महेश रबारी का है । और उसके उपरान्त मेरा× मेरा यह कार्य जो मटियानीजी की कहानियों में दलित , ईसाई और मुस्लिम संदर्भ को लेकर है ।

परन्तु अभी भी इस दिशा में शोध-कार्य की गुंजायश है । डा. सलीम वोरा का कार्य सन् 1991 में संपन्न हुआ था और मटियानीजी का निधन सन् 2001 में हुआ । मटियानीजी आखिर तक लिखते रहे हैं , अतः उनके समूचे कथा-साहित्य का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है । कथा-साहित्य के अलावा मटियानीजी का विपुल साहित्य उपलब्ध होता है जिसमें उन्होंने देश की ज्वलंत समस्याओं को उठाया है , उसे लेकर एक स्वतंत्र शोध-कार्य की गुंजायश है । उनके "लोककथा-साहित्य " वाले पक्ष को भी लिया जा सकता है । उनके नगरीय परिवेश को लेकर अलग से कार्य हो सकता है । कुमाऊं प्रदेश की लोक-संस्कृति के संदर्भ में भी कार्य हो सकता है । मटियानीजी जब "रसदशा" वाली स्थिति में होते हैं तब उनका गद्य स्वयमेव सूक्तियों का रूप लेने लगता है , उसे लेकर भी कार्य हो सकता है । समाजशास्त्र , मनोविज्ञान , भाषाविज्ञान , शैलीविज्ञान जैसे शास्त्रों को आधार बनाकर सूक्ष्म प्रकार का (Micro-Research) शोधकार्य हो सकता है ।

हमारे यहां कहा गया है -- " वादे वादे ~~प्र~~ तत्त्व जायते " । हमारा भी इस सूत्र में विश्वास है । मटियानीजी के साहित्य में और भी कई अनचिह्नित और अशोधित पक्ष और आयाम हो सकते हैं । मेरा यह शोध-कार्य उस महान कथाकार को यत्किंचित भी समझने में सहायक होगा और भविष्यत् अनुसंधित्सुओं को प्रकाश की एक किरण भी उपलब्ध करा सकेगा तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझूंगा ।

अन्त में वाणी के गौरव के कवि भवानीप्रसाद मिश्र (भवानीदादा) की निम्नलिखित काव्य-पंक्तियों के साथ विरमता हूं --

" वाणी की दीनता
अपनी मैं चीन्हता ।
कहने में अर्थ नहीं
कहना पर व्यर्थ नहीं
मिलती है कहने में
एक तल्लीनता । "

======= xxxxxxx =========